न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 167 / 2013

प्रार्थी:–

अजयराजसिंह पुत्र गोविन्दराम, जाति जाट निवासी गांव किरमसरिया खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. हड़मानाराम पुत्र श्री बंशीलाल
2. पुष्पा देवी पत्नी श्री पूनमाराम
   जातियान राव, निवासी गांव खुडियाला
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थीगण – **अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।**

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एकपक्षीय।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 4/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:– तहसील ओसियां के ग्राम खुडियाला की सरहद में खसरा नम्बर 142 रकबा 24 बीघा 10बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व दो एवं ओमप्रकाश के नाम से आयी हुई थी एवं ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल ने उक्त खसरा नम्बर 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि [illegible] 1/3 हिस्सा यानि रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा एवं 6.5 बिस्वा [illegible] की [illegible] प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 05.01.2013 [illegible] कर दी जो बेचाननामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप पंजीयक तिंवरी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के कार्यालय में क्रम संख्या 9092/2013 पर पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार प्रार्थी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी नम्बर 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्से का सह–मालिक है एवं उक्त भूमि में जरिये विक्रय पत्र के अपना हक निहित है। प्रार्थी ने उक्त जमीन ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल से जरिये विक्रय पत्र खरीद की है एवं उक्त विक्रय पत्र में 8 बीघा 03 बिश्वा 6.5 बिश्वासी भूमि का पड़ौस भी दर्ज किया हुआ है एवं ओमप्रकाश ने प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया था कि हमारे सह–खातेदारों के बीच मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है एवं उक्त बंटवाड़ा के अनुसार ही हम मौके पर काबिज है एवं जहां पर ओमप्रकाश मौखिक बंटवाडे के

अनुसार काबिज था उसी का कब्जा भी मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थी को संभला दिया था एवं प्रार्थी उक्त भूमि पर जरिये सह मालिक काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक व दो ने बदनियती पूर्ण आशय से प्रार्थी के विरूद्ध एक झूठा एवं मनगढत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया था एवं यह जानबुझकर गलत तथ्य अंकित किये कि ओमप्रकाश ने प्रार्थी को जो जमीन विक्रय की है वह उपजाऊ भू–भाग के पड़ौस दर्शा कर बेचान की है एवं यह भी तथ्य अंकित किया कि बिना विभाजन करवाये संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि का विशेष पड़ौस दर्शा कर हिस्सा बेचा गया है जबकि मौके पर सभी समान रूप से काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या एक व दो की नियत में खोट आ गयी है एवं जो बंटवाड़ा पूर्व में सह–खातेदारों के बीच में हो चुका है एवं उक्त बंटवाड़े की रूह में सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है एवं केवल राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं टूटी होने की वजह का फायदा लेकर अप्रार्थी संख्या एक व दो ने जानबूझकर गलत वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त वाद में प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा अंतरिम आदेश भी पारित हुआ एवं अदालत हाजा ने उक्त भूमि पर मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2को उक्त यथास्थिति के आदेश की आड़ में मौके पर तामीर का निर्माण कार्य कर रहे है एवं जो भूमि प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र खरीद की है उसमें निर्माण कार्य कर प्रार्थी को जानबूझकर तंग एवं परेशान किया जा रहा है। उक्त आराजी संख्या 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा की सह–खातेदारान के बीच मौखिक रूप से बंटवाड़ा हो चुका है एवं सभी सह–खातेदारान उक्त मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है एवं प्रार्थी भी उक्त मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक व दो ने जानबूझकर उक्त मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बंटवाड़े को मानने से इन्कार कर रहे हैं एवं जानबुझकर गलत वाद प्रस्तुत कर

उक्त मौखिक बंटवाड़े को अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अदालत हाजा से बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है एवं अपना 1/3 हिस्सा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवा कर मौके पर उसी अनुसार तरमीम करवाये जाने का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में भी 1/3 हिस्से का बंटवाड़े के अनुरूप तरमीम किये जाने का अधिकारी है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है। प्रार्थी उक्त आराजी संख्या 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/3 हिस्से का सह–खातेदार है एवं मौके पर अपना कब्जा विद्यमान है एवं जिस दिन से प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र के खरीद की है तब से लगाकर आज दिन तक शांति पूर्ण कब्जा चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक व दो की नियत प्रार्थी की उक्त जमीन को हड़प करने की रही है इसलिए अप्रार्थी संख्या एक व दो प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में रूकावट पैदा कर रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन भी है एवं प्रार्थी के पक्ष में इस प्रकार प्रार्थी उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्से का सह–मालिक है एवं उक्त भूमि में जरिये विक्रय पत्र के अपना हक निहित है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो में नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जावे कि गांव खुडियाला के खसरा संख्या 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि में से प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण उसके कब्जे काश्त में दखलान्दाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी अन्य एजेन्ट, मित्रगणों आदि से करावें। प्रार्थी ने जो 1/3 हिस्सा की जमीन ओमप्रकाश से खरीद की है उसका नामान्तरकरण पटवारी हल्का खारड़ा मेवासा स्वीकृत नही कर रहा है उसको आदेश पारित फरमावे कि खसरा संख्या 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि में से प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करें। अन्य आदेश जो प्रार्थी के हक में हो सादिर फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थ[illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटि[illegible] ओर से कोई भी उपस्थित [illegible]

सहायक कलेक्टर,

Scanned by CamScanner

यह है कि बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 24 बीघा में से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद किया गया है तथा पूर्व में खातेदारान द्वारा भौतिक रूप से किये गये विभाजन अनुसार कब्जा प्राप्त किया तथा मौके पर भी प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है ग्राम खुडियाला तहसील ओसियां वर्तमान तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा गांव खुडियाला के खसरा संख्या 142 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी के खरीद सुदा व कब्जा काश्त सुदा 1/3 हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी ने जो 1/3 हिस्सा की जमीन ओमप्रकाश से खरीद की उसका नामान्तरकरण दर्ज किये का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 5/12/13 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner